बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्रणाधीन कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित सभी KYP केन्द्रों पर आदेश संख्या–814 दिनांक–12.12.2020 के द्वारा पूर्व से नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की गयी है। कुशल युवा कार्यक्रम के सभी गैर सरकारी केन्द्रों पर दिनांक–27.03.2021 से निम्न शर्तो के अनुरूप प्रशिक्षण के साथ–साथ नामांकन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है:–

1. सभी केन्द्र संचालक/समन्वयक कोविड 2020 के रोकथाम से संबंधित गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया दिशा निर्देश तथा MOHFW से निर्गत दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं भविष्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाले नये मार्गदर्शन का भी अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. COVID-19 के रिस्क को कम करने हेतु केन्द्रों के सभी Faculty members, Employees, Student, Visitor को हर समय निम्नांकित विषयों का अनुपालन एवं ध्यान रखना होगा।
    - i. दो व्यक्तियों के बीच यथासंभव 6 फीट की दूरी, साबुन अथवा सेनीटाइजर से समय समय हाथ धोना, खांसने या छींकने के वक्त मूंह को रूमाल टीसू पेपर या केहुनी से ढकना अपने स्वास्थ्य की सेल्फ मॉनिटरिंग करना एवं बिमार होने पर सूचित करना।
    - ii. सभी कर्मियों एवं प्रशिक्षणाथियों को Face mask लगाना अनिवार्य होगा ।
    - iii. आरोग्य सेतु ऐप का यथा संभव इनस्टौलेशन एवं प्रयोग करना।
    - iv. सारे केन्द्रों को खोलने से पूर्व 1% Sodium Hypochloride Solution से सेनिटाइज कराना होगा।
3. केन्द्र पर कार्यरत Learning facilitatior को भुगतान की जाने वाली राशि केवल चेक अथवा Account transfer के माध्यम से किया जायेगा। जिससे संबंधित प्रमाण केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
4. सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों/Trainer की उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन का हीं उपयोग किया जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में हैण्ड सेनेटाईजर की समुचित व्यवस्था हो।

ह० 26/3/21

(मिहिर कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/KYP–73/2020– 197 पटना, दिनांक– 26.03.2021

प्रतिलिपि– 1) सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ मिशन निदेशक/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, समन्वय/ मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा/ सहायक निदेशक, नियोजन/ प्रोजेक्ट डायरेक्टर E&Y/ प्रोजेक्ट डायरेक्टर MKCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3) सभी केन्द्र संचालक/ केन्द्र समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 26/3/21

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

Scanned with CamScanner